

म्यूचुअल फंड नियमों में संशोधन

स्रोत: द हट्टि

हाल ही में **भारतीय प्रतभूति और वनियमि बोरड (SEBI)** ने **सेबी (म्यूचुअल फंड) वनियमि, 1996** में संशोधनों को स्वीकृति प्रदान की तथा इसने **प्रसिंपततप्रबंधन कंपनियों (AMCs)** के भीतर **नियामक नरीकषण** को बढ़ाने के लिये संशोधनों को अनविर्य कर दया है। कुछ अन्य हालया प्रस्तावति संशोधन हैं:

■ संस्थागत तंत्र:

- AMCs को वशिषिट प्रकार के कदाचार की पहचान करने और उनका समाधान करने के लिये **उन्नत नगरानी प्रणाली**, आंतरकि नियंत्रण एवं वृद्धिप्रक्रयाओं को लागू करने की आवश्यकता है।
- इसका उद्देश्य उद्योग के भीतर **फ्रंट-रनगि, इनसाइडर ट्रेडगि** और संवेदनशील जानकारी के दुरुपयोग को रोकना है।
 - **फ्रंट रनगि** से तात्पर्य **ब्रोकर** अथवा व्यापारी के **अनैतिक आचरण से है**, जो अपने ग्राहकों द्वारा लंबति ट्रेडों की अग्रमि जानकारी के आधार पर प्रतभूतिपर ऑर्डर नषिपादति करता है, जो बाज़ार मूल्य को प्रभावति कर सकता है।
 - दूसरी ओर, सुरक्षा के बारे में महत्त्वपूर्ण, **गोपनीय जानकारी के आधार पर प्रतभूतियों को खरीदना अथवा बेचना इनसाइडर ट्रेडगि** के रूप में जाना जाता है।


■ संप्रेषण रकिॉर्डगि:

- SEBI ने बाज़ार समय के दौरान डीलरों और फंड मैनेजरों द्वारा की जाने वाली प्रत्यक्ष बातचीत को कसिी भी प्रकार के संचार रकिॉर्ड करने की आवश्यकता से मुक्त कया है।

■ नषिक्रयि योजनाओं के लिये वविकपूर्ण मानदंड:

- SEBI ने **नषिक्रयि योजनाओं के लिये वविकपूर्ण मानदंडों** को सुव्यवस्थति कया है, जसिसे इक्वटी नषिक्रयि योजनाओं को प्रायोजक समूह की कंपनियों में नविश करने पर **35% की सीमा** के साथ अंतरनहिति सूचकांक में घटकों के भारांश तक नविश करने की अनुमति मिलति है।

Regulatory mechanism for Mutual Funds



और पढ़ें: [परसिंपत्तपुनर्ररिमाण कंपनी](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/amendment-to-mutual-fund-rules>